



वैदिक काल में महिला सशक्तिकरण

डॉ. मनीषा गोदारा,

आचार्य संस्कृत

राजकीय बाँगड़ महाविद्यालय, डीडवाना

सार:-

ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान प्राप्त था। वैदिक सभ्यता में महिलाओं को न केवल नई पीढ़ियों का पालन-पोषण करने वाली माता के रूप में, बल्कि सत्य को देखने की अपार क्षमता रखने वाली और मानव समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली व्यक्तियों के रूप में भी आदर और सम्मान प्राप्त था। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त थी। महिलाएँ अपने पति चुनने के लिए स्वतंत्र थीं और स्वयंवर के रूप में उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। वैदिक समाज यद्यपि पितृसत्तात्मक था, परंतु फिर भी समाज में नारी को पुत्री, बहन, पत्नी और माता के रूप में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। पुत्री के रूप में जहाँ वह लड़कों के समान वैदिक साहित्य का अध्ययन करती हुई, हर स्थान पर लड़कों के बराबर दिखाई देती है, वहीं पत्नी के रूप में वह पुरुष को अर्धांगिनी, सहधर्मिणी तथा गृहस्वामिनी थी, और प्रत्येक धार्मिक कृत्य उसकी उपस्थिति के बिना अधूरा था। माता के रूप में वह पूजनीय थी। वैदिक समाज में कन्या वध, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा व दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएँ प्रचलित नहीं हुई थी। विधवा को भी पुनर्विवाह की अनुमति थी। वैदिक काल का अंत होते होते नारी की इस आदर्श स्थिति में बदलाव के संकेत दिखाई देने लगते हैं।

मुख्य शब्द:- ऋग्वेद, अथर्ववेद, वृहदारण्यक, उपनिषद, यजुर्वेद।

प्रस्तावना: -

वैदिक काल में नारी की स्थिति पुरुष के बराबर थी। उसे भोग की वस्तु न समझ कर परिवार की वृद्धि करने वाली तथा धर्म में साथ निभाने वाली माना जाता था।

पत्नी की उपस्थिति के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान यथा धर्म-कर्म, दान-पुण्य, पितृशांति आदि कार्य संपन्न नहीं हो सकते थे।

प्राचीन आर्यों ने पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली की स्थापना की थी जिसमें स्त्रियों के लिए समुचित सम्मान एवं प्रतिष्ठा की व्यवस्था की गई थी। परिवार एवं समाज दोनों में ही स्त्री की विशेष भूमिका थी। वह कन्या, पत्नी तथा मां के रूप में आर्य संस्कृति का आधार थी। आर्य जनजीवन में पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली होने के उपरांत भी स्त्रियों को घर, परिवार एवं समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की। वह देवताओं के समान श्रद्धा की पात्र थी।

ऋग्वैदिक काल में नारी की स्थिति :-

सामाजिक स्थिति :-

ऋग्वैदिक काल में परिवार का कोई भी आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्य नारी के बिना संपन्न नहीं हो सकता था। नारी के बिना पुरुष को अपूर्ण समझा गया। जब तक पुरुष विवाहोपरान्त आर्या की प्राप्ति नहीं कर लेता था तब तक वह याज्ञिक अनुष्ठानों को संपन्न नहीं कर सकता था।

समाज का संचालन संतान से होता है और संतान की प्राप्ति स्त्री तथा पुरुष दोनों के होने पर ही संभव थी इसलिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। वैदिक यज्ञों से लेकर वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का आधार नारी ही थी। पंच-महायज्ञों का आधार भी नारी ही थी। श्राद्ध, बलि, हविष्य आदि का आधार नारी ही थी। उसे 'श्री' और 'लक्ष्मी' कहा गया जो घर में सुख एवं समृद्धि की सृष्टि करती थी।

ऋग्वैदिक काल में पर्दा-प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। वे स्वतंत्रता पूर्वक घर से बाहर जा सकती थी। आर्यों के प्रारंभिक समाज में नारी जितनी स्वतंत्र और मुक्त थी उतनी बाद के किसी काल में नहीं रही। ऋग्वैदिक काल में नारी हर तरह से पुरुषों के समकक्ष थी। वह सामाजिक और आर्थिक उत्सवों में बिना किसी प्रतिबंध के हिस्सा लेती थी। उस काल में नारी पुरुषों के साथ यज्ञ, सभा, एवं गोष्ठी में सम्मिलित होती थी। अकेला पुरुष यज्ञ के अयोग्य था।

पत्नी के रूप में वह परिवार की स्वामिनी होती थी। उसके लिए 'गृहिणी', 'गृहस्वामिनी' तथा सहधर्मिणी' जैसे आदरसूचक संबोधन किए जाते थे।

ऋग्वैदिक काल में पुत्री का जन्म चिंता का विषय नहीं माना जाता था। कन्याओं को शिक्षा दिलवाई जाती थी। पुत्रों की भांति पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था और वे भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई पढ़ती थी।

कन्याओं को गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक युग में विश्ववारा, धोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सिकता, गार्गी, मैत्रेयी आदि स्त्रियों ने ऋषिकाओं का पद प्राप्त किया। उन्होंने वेद-मंत्रों की रचना की और पुरुषों की ही भांति शास्त्रार्थ एवं सभा गोष्ठियों में भाग लिया। उस युग में पर्दा-प्रथा और सती-प्रथा का प्रचलन नहीं था। कन्याएँ अपनी इच्छा से स्वयंवर के रूप में अपने पति का चयन कर सकती थी। समाज में एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी।

उस काल में विधवा-विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं, यद्यपि यह सामान्य नियम नहीं था। विधवा स्त्री को नियोग-प्रथा द्वारा पुत्र प्राप्ति का अधिकार था। कुछ विशेष मामलों में पति की जीवित अवस्था में भी पति की सहमति से स्त्री को नियोग-प्रथा के द्वारा पुत्र उत्पन्न करने का अधिकार था।



नारी की शिक्षा:-

ऋग्वैदिक काल में नारी स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करती थी। इस काल में स्त्रियां सभा एवं गोष्ठियों में ऋग्वेद की ऋचाओं का गायन किया करती थी। ऋग्वेद में रोमशा, अपाला, उर्वशी, विश्ववारा, सिकता, घोषा, लोपामुद्रा आदि ने वैदिक मंत्रों की रचना की।

उपनयन संस्कार:-

ऋग्वैदिक काल में पुत्र की तरह पुत्री का भी विद्यारम्भ से पूर्व उपनयन संस्कार किया जाता था तथा वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई वेदों का अध्ययन करती थी। वैदिक युग में छात्राओं के दो वर्ग थे 1-सद्योवधु और 2- ब्रह्मवादिनी।

सद्योवधु वे छात्राएं थी जो विवाह के पूर्व तक वेद, मंत्रों और याज्ञिक प्रार्थनाओं का ज्ञान प्राप्त करती थी।

ब्रह्मवादिनी वे थी जो अपना संपूर्ण जीवन वेदों की शिक्षा प्राप्त करने में लगाती थी। ऋषि 'कुशध्वज' की कन्या वेदवती ऐसी ही ब्रह्मवादिनी स्त्री थी। उस युग में सह-शिक्षा का भी प्रचलन था। वाल्मीकि आश्रम में अण्येयी और लव-कुश ने साथ-साथ शिक्षा ग्रहण की। सह-शिक्षा का उदाहरण महाभारत में भी मिलता है जब अम्बा एवं शैखवत्य एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। अनेक स्त्रियां शिक्षिका बनकर अध्यापिकाओं का जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी स्त्रियां उपाध्याया कहलाती थी।

वैदिक काल में नारी को प्राप्त अधिकार:-

वैदिक काल में नारी को उच्च स्थान प्राप्त था और उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर कई महत्वपूर्ण मानवाधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। वैदिककालीन नारी को मिलने वाले प्रमुख मानवाधिकार इस प्रकार हैं -

1- शिक्षा का अधिकार:-

वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। उन्हें यज्ञोपवीत (उपनयन संस्कार) की अनुमति थी और वे वेदों का अध्ययन करती थी।

2 बौद्धिक एवं आध्यात्मिक अधिकार:-

स्त्रियाँ न केवल शिक्षित थी, बल्कि ऋषिकाओं के रूप में जानी जाती थी, जिन्होंने वैदिक मंत्रों (ऋचाओं) की रचना की, जैसे घोषा, अपाला, विश्ववारा। वे धर्मशास्त्रार्थ में भाग लेती थी और धार्मिक कार्यों में पति के साथ समान रूप से भाग लेती थी।

3 स्वतंत्रता व विवाह संबंधी अधिकार :-

इस काल में स्त्रियों को अपना जीवन साथी चुनने (स्वयंवर) की स्वतंत्रता थी। वे वयस्क होने पर विवाह करती थी और बाल विवाह की प्रथा नहीं थी।

4- पति के साथ सहभागिता :-

नारी को घर की स्वामिनी (गृहिणी) माना जाता था, और वह पति के साथ गृहस्थी के सभी निर्णयों में शामिल होती थी।

5- आर्थिक व सामाजिक अधिकार:-

यद्यपि पितृसत्तात्मक समाज था, फिर भी अविवाहित स्त्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। वे कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती थी।

6 पुनर्विवाह का अधिकार:-

यदि आवश्यक हो, तो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी।

7 पर्दा प्रथा और सती प्रथा का अभाव :-

प्रारंभिक वैदिक काल में पर्दा प्रथा या सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं मौजूद नहीं थी। वैदिक काल में नारी को पुरुष का आधा भाग (अर्धांगिनी) माना जाता था, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक अधिकारों की नींव थी।



Cover Page



संदर्भ ग्रंथ :-

- 1- डॉक्टर मालती शर्मा वैदिक संहिताओं में नारी, पृष्ठ 1
- 2- सोती वीरेंद्र चंद्र- भारतीय संस्कृति के मूल तत्व
- 3- डॉकीनी जतप दृ शेजंजने वीपदकन वउमद च.2
- 4- तैम्ब्ल् ट्ट ।स् दृ प्दजमतदंजपवदंस त्मतिममक त्मेमंतबी श्रवनतदंस दृ टवसनउम 1ए पेनम 8.9, श्रंद.थमइ-2017 – वैदिककालीन नारी की स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन – डॉ मोहनलाल